संख्या-28/2015/260/एक-4-15-03बी-4/2015

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद उ0 प्र0
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक 08 जुलाई, 2015**

विषयः- जनपद रामपुर में 01 अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के अस्थायी पद का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 858/12-6सी/2014, दिनांक-02-02-2015 एवं जिलाधिकारी, रामपुर के पत्र संख्या -2932 / आर0ए0, दिनांक-16-6-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद रामपुर के लिए एक अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) वेतनमान रूपया-15,600-39,100 ग्रेड पे रू0-6600 में एक अस्थायी पद इस आदेश के जारी होने की तिथि से दिनांक-29-2-2016 तक के लिए निम्नांकित शर्तों के अधीन सृजित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) उपर्युक्त पद पर नियुक्त पदाधिकारी को समय-समय पर देय वेतनमान के अतिरिक्त शासन द्वारा स्वीकृत दरों पर मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते जो अनुमन्य हो देय होंगे।

(2) उक्त पद पर होने वाला व्यय आय-व्ययक के अनुदान संख्या-50 के अधीन लेखाशीर्षक-2053-जिला प्रशासन -आयोजनेत्तर-093-जिला स्थापनायें-03-कलेक्ट्रेटी स्थापना के अर्न्तगत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-892/दस-2015, दिनांक 03 जुलाई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 28/2015/260 (1)/एक -4-15,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ् एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा), प्रथम उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2-मण्डलायुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
3-जिलाधिकारी, रामपुर।
4-कोषाधिकारी, रामपुर।
5-वित्त (व्यय नियन्त्रण)अनुभाग-2/5
6-वित्त (आय व्ययक)अनुभाग-2
7-वित्त (वेतन आयोग)अनुभाग-1/2
8-राजस्व अनुभाग-5/6 एवं -9
9-प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, नियुक्ति अनुभाग-2,
10-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बीरबल सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in